


भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



दूरभाष Telephone : 0612- 2280265
फैक्स Fax : 0612- 2280265
E-mail : bihar.gdc.soi@gov.in



No. 732/137-जी-6

बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र (घू.क्षे.)
Bihar Geo-spatial Data Centre (EZ)
164, शेखपुरा हाऊस, शेखपुरा
(जे.डी. विमेन्स के नजदीक)
164, Sheikhpura House, Shekhpura
(Near J.D. Women's College)
डाक-बी.भी. कॉलेज/P.O.-B.V. College
पटना-800014/Patna-800014
दिनांक/Date 21 सितम्बर/Sept., 2016

बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं.- 09/37-जी-6, दिनांक 21/09/2016

1. एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत अधिकारी सर्वेक्षकों को तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने के संबंध में:-

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी0डी0एन0, दिनांक 08.06.2009 के अन्तर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं.जी.-35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारियों (अधिकारी सर्वेक्षकों) को उनके नाम के सामने दर्शायी गयी तारीख से पी.बी.-3 रु.15,600-39,100 + रु.7600 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किया जाता है।

क्रम सं.	नाम	कार्यालय	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि
1.	Naresh Prasad (Retired)	Bihar G.D.C.	01-09-2008
2.	Ram Swaroop Roy (Retired)	Bihar G.D.C.	01-09-2008
3.	Anandi Gupta (Retired)	Bihar G.D.C.	01-09-2008

प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.सी-4746/1902-MACP-III(OS), दिनांक 12.09.2016

एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर अधिकारियों को वेतन निर्धारित करने के लिए एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के तहत विकल्प देना होगा।

इसमें होने वाला अतिरिक्त व्यय बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र के लिए वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा।

2. दण्ड:-

अनुशासनिक अधिकारी द्वारा श्री दयाकांत चौधरी, सर्वेक्षण सहायक, पूर्वी उत्तर प्रदेश जी.डी.सी., लखनऊ (अब बिहार जी.डी.सी., पटना में कार्यरत) को केन्द्रीय लोक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 1965 के नियम 16 के अन्तर्गत "निन्दा" (Censure) का दण्ड दिया जाता है।


- प्राधिकार:- 1. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय एवं अनुशासनिक अधिकारी का पत्र सं.सी-131/3-ए(दया कांत चौधरी), दिनांक 18 जुलाई, 2016
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय एवं अनुशासनिक अधिकारी का पत्र सं.सी-153/3-ए(दया कांत चौधरी), दिनांक 17 अगस्त, 2016

कृ.पू.प.

3. **सेवानिवृति:-**

इस निदेशालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से अपनी सेवा पूरी करने के बाद सेवा-निवृत्त हुए:-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1.	श्री सूरत राम, दफादार	31.08.2016



(पी. वी. राजशेखर)

निदेशक

बिहार जी.डी.सी.

वितरण:

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को सूचनार्थ।
2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता को सूचनार्थ।
3. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, कोलकाता।
5. प्रभारी, विभागीय वेबसाइट, द्वारा नेशनल जी.डी.सी., देहरादून को ई-मेल (admn.soi@gov.in) के माध्यम से विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
6. अनुभाग प्रभारी, पत्राचार अनुभाग/लेखा अनुभाग/गोपनीय अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. व्यक्तिगत फाइल (श्री दयाकांत चौधरी, सर्वेक्षण सहायक)/ गार्ड फाइल।

----- ई-मेल के द्वारा